

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या :-एसपीएमयू/जे0एस0एस0के0/93/2013-14/353-2

01-07-13
दि० 2013

विषय: वर्ष 2013-14 में "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम" के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश।

महोदय,

आपके जनपद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गत वर्ष से संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को पाँच निःशुल्क सेवाएं— निःशुल्क परिवहन सुविधा, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क उपचार (औषधि एवं कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्था), निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क रक्त चढ़ाना तथा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2013-14 की राज्य कार्य योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार हैं—

1. निःशुल्क परिवहन सुविधा:-

- प्रत्येक जनपद को ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तक निःशुल्क ड्रॉप बैक की सुविधा उपलब्ध करानी है। प्रदेश में संचालित 972 उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विसेज की गाड़ियों से चिकित्सा इकाईयों पर भर्ती सभी गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं को ड्रॉप बैक की सुविधा प्रदान की जानी है। उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विसेज की गाड़ियाँ 01 प्रति ब्लॉक तथा 02 जिला स्तर पर उपलब्ध करायी गयी हैं जिनका प्राथमिक उपयोग ड्रॉप बैक में ही किया जाना है।
- यह सुनिश्चित किया जाना है कि वर्ष 2013-14 में जनपद की समस्त L-3 प्रसव इकाइयों, ब्लॉक स्तरीय L-2 इकाइयों एवं यदि जनपद में स्टेट/सेन्ट्रल मेडिकल कॉलेज हो तो इसके स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में होने वाले प्रसवों हेतु ड्रॉप-बैक वाहन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाये।
- गम्भीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं अथवा प्रसूताओं को उच्च चिकित्सकीय इकाईयों पर सन्दर्भित करने हेतु जनपद में उपलब्ध 108 एवं उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विसेज की गाड़ियों, दोनों का ही उपयोग किया जा सकता है। यह मुख्य चिकित्साधिकारी व चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों का उत्तरदायित्व है कि वे आवश्यकतानुसार इन गाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करें।
- यदि जनपद में ब्लाक स्तर तक क्रियाशील प्रसव इकाईयों की संख्या उपलब्ध करायी गयी उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विसेज की गाड़ियों से अधिक है तो टेण्डर के माध्यम से टैक्सी अनुबन्धित की जा सकती है। पूर्व में टेण्डर के माध्यम से अनुबन्धित किये गये वाहनों का अनुबन्ध समाप्त होने पर आवश्यकतानुसार नवीनीकरण कर लिया जाय।

(Handwritten signature)

- कुछ इकाईयों पर जहाँ प्रतिदिन 05-06 से अधिक लाभार्थियों को ड्रॉप बैंक की आवश्यकता की सम्भावना है वहाँ एक से अधिक वाहन की व्यवस्था की जाय।
- प्रदेश में चल रही उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विसेज की 972 गाड़ियों से ड्रॉप-बैंक की सुविधा लिये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० स्वास्थ्य भवन लखनऊ के पत्र संख्या-12फ 2153-54 दिनांक 28.08.2012 एवं महानिदेशक परिवार कल्याण के पत्र संख्या-मा०शि०क०/जे०एस०एस०के०/दि०निर्दे० /2012/3241-4 दिनांक-02.11.2012 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं।
- वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा इस गतिविधि हेतु रू० 250.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी जनपदों को जिला कार्ययोजना के माध्यम से स्वनिर्धारित लक्ष्य के आधार पर संलग्न तालिका में वर्ष 2013-14 के लिये धनराशि आवंटित की जा रही है, इस धनराशि से जनपद की समस्त जनपद व ब्लॉक स्तरीय 1.3 व 1.2 प्रसव इकाईयों पर गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं को ड्रॉप-बैंक की सुविधा उपलब्ध करवाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

2. निःशुल्क भोजन व्यवस्था:-

- वर्ष 2013-14 में प्रत्येक जनपद को सभी जनपद स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तक निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी है।
- वर्ष 2013-14 में जिला महिला चिकित्सालयों पर भी प्रसूताओं को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मद से ही भोजन प्रदान किया जाना है।
- सभी गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाना है।
- भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु भर्ती दिवसों की संख्या की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से ही सामान्य प्रसव में औसतन 03 दिवस व सीजेरियन प्रसव में औसतन 07 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन किया गया है। यदि चिकित्सकीय कारणों से भर्ती की अवधि बढ़ा दी जाती है तो भर्ती वाले अतिरिक्त दिनों में भी निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जानी है एवं भोजन पर हुआ व्यय भी स्वीकृत दर पर ही बुक किया जाना है।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात इसमें प्रगति हुई है किन्तु कुछ जनपद अभी भी भोजन मद में शून्य प्रगति दर्शा रहे हैं। जिन जनपदों पर टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन सम्भव नहीं हो पाया है वे जिला स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति प्राप्त कर खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर अच्छे व क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों का चयन कर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।
- सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48-72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। हमारी पूरी रणनीति प्रसूताओं एवं नवजात

शिशुओं को इस अति संवेदनशील अवधि में चिकित्सालय में चिकित्सकों की निगरानी में रखने की होनी चाहिए।

- भोजन प्रदान करने हेतु धनराशि का आंगणन जिला कार्ययोजना के माध्यम से जनपदों द्वारा स्वनिर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया गया है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100.00 प्रति दिन की दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा। इस मद में उपलब्ध धनराशि का समायोजन लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाय।
 - इस धनराशि से गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं को चिकित्सालय में रुकने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।
 - अन्तिम विकल्प के रूप में यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गर्भवती महिला/प्रसूता को आधे लीटर दूध की दो थैली (लगभग रू0 40.00), दो फल तथा दो अण्डे (लगभग रू0 20.00) अथवा यदि कोई महिला अण्डे न खाती हो तो इस मूल्य के फल तथा दोनों समय अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम अमूल/पराग का मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है।
 - पूर्व में प्रेषित किये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुए चयन, अनुमोदन, अनुबन्ध, रिपोर्टिंग, सत्यापन तथा भुगतान आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय तथा उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का ही होगा।
3. निःशुल्क उपचार (औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स की व्यवस्था):-

- समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात सभी आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हैं।
- निःशुल्क उपचार के अन्तर्गत आउटरीच सत्रों पर उपलब्ध करायी जा रही प्रसव पूर्व देखभाल भी आच्छादित है। आप अवगत हैं कि जनपद की जनसंख्या एवं जन्म दर के आधार पर गर्भवती महिलाओं की देखभाल का लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। इस लक्ष्य के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे आउटरीच सत्रों में IFA की गोलियां आदि भी इस मद से उपलब्ध करायी जानी हैं जिससे वे महिलायें भी लाभान्वित हो सकें जो हमारी राजकीय इकाईयों में प्रसव नहीं करा सकेंगी।
- संलग्नक-2 पर प्रस्तुत **Essential Drug List (EDL)** में सम्मिलित औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट पर उपलब्ध औषधियाँ क्रय की जा सकती हैं।
- सभी मुख्य चिकित्साधिकारी जनपदीय प्रसव इकाईयों के प्रभारियों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के साथ बैठक कर उनकी वर्ष भर की आवश्यकता का आकलन करवाकर मांगपत्र प्राप्त कर लें। जिसके आधार पर आवश्यकता के अनुसार इकाईवार दवाईयों का क्रयादेश जारी करें। फर्मों द्वारा आपूर्ति की सुविधा के लिये क्रयादेश वर्ष में 2 या 3 फांट में भी किया जा सकता है। सभी औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की प्राप्ति की सत्यापित रसीद जनपदीय प्रसव इकाईयों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित फर्मों को भुगतान करें।

HV

- वर्तमान में सभी जनपदों को निःशुल्क उपचार प्रदान किये जाने का लक्ष्य जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य में ऐसी गर्भवती महिलाओं को सम्मिलित कर निर्धारित किया गया है जो हमारी राजकीय इकाइयों में प्रसव नहीं करा सकेंगी किन्तु प्रसव पूर्व सेवायें प्राप्त करेंगी।
- इस वर्ष 2013-14 के लिये निःशुल्क उपचार के मद में उपलब्ध करायी जा रही जनपदवार धनराशि संलग्न फांट पर उपलब्ध है जिससे सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाना है। सभी राजकीय चिकित्सा इकाइयों पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

निःशुल्क उपचार के लाभार्थियों की रिपोर्ट प्रेषित करते समय यह निर्धारित कर लिया जाय कि कितने नवीन लाभार्थियों को उपचारित किया गया। पूर्व से गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क औषधियां प्राप्त लाभार्थी को पुनः न जोड़ा जाय। जिससे उपलब्धि के रूप में एक ही लाभार्थी की बार-बार गिनती न हो।

4. निःशुल्क जाँचें तथा अल्ट्रासाउण्ड सुविधा:-

- इस वर्ष 2013-14 की आर0ओ0पी0 द्वारा भारत सरकार ने निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु उपकरण तथा रैपिड टेस्टिंग किट आदि को सम्मिलित करते हुये प्रति लाभार्थी औसतन रू0 100.00 की दर से धनराशि स्वीकृत की है। प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु निम्न उपकरण तथा कन्ज्यूमेबिल्स आवश्यकतानुसार राजकीय नियमों के अधीन क्रय किये जा सकते हैं।
 - i. आर0एच0/ए0बी0ओ0 टेस्ट किट
 - ii. डब्ल्यू0आर0/वी0डी0आर0एल0 टेस्ट किट
 - iii. हेपेटाइटिस-बी टेस्ट किट
 - iv. एच0आई0वी0 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट
 - v. आवश्यक उपकरण (हीमोग्लोबिनोमीटर, सेमीआटोएनालाइज़र, बी0पी0 इन्स्ट्रूमेन्ट, वजन मापने की मशीन, स्टेथोस्कोप)
 - vi. सामान्य पैथोलोजिकल रिएजेन्ट्स व सेमीआटोएनालाइज़र के रिएजेन्ट्स
 - vii. आउट रीच सेवाओं के लिये रैपिड डायग्नोस्टिक स्ट्रिप टेस्ट किट (यूरीन जाँच व हीमोग्लोबिन)
- प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निर्धारित की गयी हैं-
 - i. ए0पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा वी0एच0एन0डी0 (आउटरीच) स्तर पर - हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर) की निःशुल्क जाँच।
 - ii. स:2ध:3 स्तर की ब्लॉक स्तर की पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ पर लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ - हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
 - iii. स:3 स्तर की इकाइयों पर- हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, भ्रू |हए टक्त्स भ्ट ब्लक जमेज ,इल छ।बद्ध एवं सेमीऑटोएनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली जांचे।
- प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन जिला महिला इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर यह

सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय भी इस मद से किया जा सकता है। यदि पुरुष चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध है तो गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा वहां उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

- i. सभी जाँचों के लिये यह धनराशि पूल में रखी जाये तथा इसका उपयोग लेबोरेट्री तथा अल्ट्रासाउण्ड के रिजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स के क्रय हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से ही किया जाय किसी भी स्थिति में यह धनराशि आर०के०एस० में स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है।
- ii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों एवं उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक रिजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग-पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें एवं शीघ्र ही रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिये क्रय करने की कार्यवाही कर लें।
- iii. इस वर्ष 2013-14 के लिये निःशुल्क जांच के मद में उपलब्ध करायी जा रही जनपदवार धनराशि संलग्न फांट पर उपलब्ध है जिससे सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को निःशुल्क जांच उपलब्ध कराया जाना है।

निःशुल्क जांचों के लाभार्थियों की रिपोर्ट प्रेषित करते समय यह निर्धारित कर लिया जाय कि कितने नवीन लाभार्थियों की जांच की गयी है। पूर्व से गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क जांचे प्राप्त लाभार्थी को पुनः न जोड़ा जाय। जिससे उपलब्धि के रूप में एक ही लाभार्थी की बार-बार गिनती न हो।

5. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अन्तर्गत निःशुल्क जांच एवं कन्ज्यूमेबिल्स की सुविधा:-

- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से निर्गत पत्रसंख्या-एस०पी०एम०यू०/जे०एस०एस०के०/93/2011-12/2652-3 दिनांक 07.12.2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-1019/पांच-1-2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि रक्तदान का कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा।

6. ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था-

- यह व्यवस्था प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित की जानी है। निर्देश दिये गये हैं कि जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी०यू०जी० नम्बर प्रदर्शित/प्रचारित कर दिया जाये। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण कर दिया जाये।
- प्रत्येक जनपद के स्तर पर टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था होने तक जनपद मुख्यालय पर एक शिकायत घेटी भी रख दी जाय एवं माह में एक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति माह निस्तारण किया जाये। यह व्यवस्था लागू कर राज्य स्तर पर इसके अनुपालन की सूचना अवश्य प्रेषित कर दी जाये।

7. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार:-

- यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रचार-प्रसार के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से योजना बनाकर जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।
- राज्य स्तर से जे0एस0एस0के पोस्टर का प्रारूप प्रेषित किया गया है। प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सी0एम0ओ0 ऑफिस पर न्यूनतम 07 फिट X 5 फिट के आकार के 02-02 फ्लैक्स बैनर अथवा वॉल-पेंटिंग करायी जायें।
- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एकीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन-सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।

8. पर्यवेक्षण व अनुश्रवण:-

- कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।
- निविदा प्रक्रिया, वाउचर, लागबुक तथा प्रमाण पत्र मुद्रण आदि में होने वाला व्यय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि से नियमानुसार वहन किया जाए।

9. रिपोर्टिंग:-

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र-19 (संलग्नक-3) जो संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, पर नियमित रिपोर्टिंग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर जे0एस0वाई0 सेल, परिवार कल्याण निदेशालय को भेजी जायें। इसे mchjsy@gmail.com पर भी ससमय प्रेषित किया जाय।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार के स्तर पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु प्राविधानित प्रारूप एनेकजर-11 (संलग्नक-4) पर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में 15 दिवसों के अन्दर रिपोर्ट एस0पी0एम0यू0 कार्यालय uks1974@hotmail.com एवं vkssinghal033@gmail.com पर प्रेषित की जानी है।

10. वित्तीय व्यवस्था-

इस प्रकार वर्ष 2013-14 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न निःशुल्क सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये निम्नानुसार एफ0एम0आर0 कोड के अन्तर्गत धनराशियां अवमुक्त की जा रही हैं-

- निःशुल्क जाँचें व औषधियाँ, कन्ज्यूमेबिल्स तथा डिस्पोजेबिल-एफ0एम0आर0 कोड संख्या A.1.7.1
- निःशुल्क जाँचें -एफ0एम0आर0 कोड संख्या A.1.7.2
- निःशुल्क भोजन -एफ0एम0आर0 कोड संख्या A.1.7.4
- निःशुल्क ड्रॉप-बैंक -एफ0एम0आर0 कोड संख्या A.1.7.5

Handwritten signature

- उपर्युक्त क्रम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जाय।
- किसी भी स्थिति में कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, मंहालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

9/28/6/13
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसं०-एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै०डे०आ०/54बी/2013-14

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक-परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 6 वित्त नियंत्रक-एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०यू०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 8 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, उ०प्र०।
- 9 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
- 10 गार्ड फाइल।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

Medicines and consumables for normal delivery

List of Consumables

Sr.No.	Consumables	Estimated Usage
1	Absorbent Cotton Wool I.P. - 500gms	1 roll
2	Povidone Iodine Solution	20%
3	Savlon liquid	1
4	Foleys Catheter, 16 No BIS, self retaining catheter	50% cases
5	Infusion Equipment BIS, IV set with hypodermic needle, 21 G of 1.5 inch length	50% cases
6	Intra-cath Cannulas for single use - BIS Gauze 18, Length 45mm, flow rate 90ml per minute	50% cases
7	Plain catheter 16 No.	
8	Chromic Catgut No. 1 on round body needle. No. 2 on round body needle	20% cases
9	Cord Clamp	1
10	Absorbent Gauze	1
11	Mucus Sucker	1
12	Surgical gloves sterile BIS Free size	1
13	Surgical Spirit, B.P. 500 ml in each bottle	10%
14	Sanitary Napkins	2 pkts

List of Medicines

Sr. No.	Name of Drug	Unit
1	Gentamycin Inj. I.P. - 80mg/ml	Vial
2	Prostidine Inj. 250 mg	1 ml Amp
3	Amoxycillin Cap. I.P. - 250mg	10s
4	Ampicillin Cap. I.P. - 250 mg	10s
5	Tinidazole Tab. I.P. - 500mg	10s
6	Methyl Ergometrine Inj. I.P. - 0.2mg/ml	1 ml Amp
7	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal	4s
8	Dicyclomine HCL Inj I.P. - 10mg/ml	2 ml Amp
9	Oxytocin Inj. I.P. - 5 Units/ml	1 ml Amp
10	Hyoscine Butyl Bromide Tab I.P. - 500mg	10s
11	Sodium Chloride IV Inj I.P. - 0.9% w/v	500 ml FFS/BFS Bottle (50% usage)
12	Dextrose Inj. I.P. 5% - 500ml	500 ml FFS/BFS Bottle (50% usage)
13	Calcium Gluconate Inj. I.P. - 10% w/v	10 ml Amp (50% usage)
14	Inj Drotaverine Hydrochloride	40mg/2ml
15	Povidone Iodine Ointment I.P. - 5% w/v	20 mg tube
16	Lignocaine HCL Inj I.P. - 2% w/v	30 ml Vial
17	Ibuprofen Tab. I.P. - 400mg	10 X 10 Tabs
18	Domperidone Tab. I.P. - 10mg	10 X 10 Tabs
19	Paracetamol Tab. I.P. - 500mg	10s
20	Inj. Atropine Sulphate I.P. - 0.6mg/ml	1 ml Amp
21	Inj. Ethamsylate 125mgs/ml	2 ml Amp
22	Inj. Fortwin	2 ml Amp
23	Inj. Diazepam I.P. 10mg/ml	2 ml Amp
24	Inj. Magnesium Sulfate 50%	1 ml Amp
25	Inj Iron Sucrose (Containing Ferric Hydroxide Incomplex with Sucrose eg. Elemental Iron 20 mg/ml	5 ml Amp * 3 amp (for 10 % cases)

Medicines and consumables for Caesarian section
List of Consumables

Sr.No.	Consumables	Estimated Usage
1	Absorbent Cotton Wool I.P. - 500gms	
2	Povidone Iodine Solution	2 Rolls
3	Savlon Liquid	1
4	Sticking Plaster (Surgical Tape) - 2.5 cm X 9.10 m	1
5	Hypodermic Syringe for single use BP/BIS (5ml)	15
6	Hypodermic Syringe for single use BP/BIS (10ml)	4
7	Foleys Catheter, 16 No BIS, self retaining catheter	1
8	Infusion Equipment BIS, IV set with hypodermic needle, 21 G of 1.5 inch length	1
9	Intra-cath Cannulas for single use - BIS Gauze 18, Length 45mm, flow rate 90ml per minute	1
10	Chromic Catgut No. 1 on round body needle, No. 2 on round body needle	1
11	Chromic Catgut No. 1-0 on round body needle	1
12	Cord Clamp	1
13	Suction Tube	1
14	Urobag	1
15	Sponges	1
16	Cotton Bandage	1
17	Absorbent Gauze	1
18	Gloves Size 6, 6 1/2, 7	1
19	Mucus Sucker	1
20	Mersilk No. 2, No.1 on cutting needle	1
21	Polyglycolic acid, braided, coated and absorbable, No.1 on 1/2 circle round body needle (VICRYL)	1
22	AB Gel	1
23	Surgical Spirit, B.P. 500 ml in each bottle	10%
24	Medicated Soap	1
25	Spinal Needle Disposable Adult as per BIS 23 Gauze (70-90 mm without hub)	1
26	Sanitary Napkins	2 packs

List of Medicines

Sr. No.	Name of Drug	Unit
1	Inj. Gentamycin I.P. - 80mg/ml	Vial
2	Inj. Oxytocin I.P. - 5 Units/ml	1 ml Amp
3	Inj. Sodium Chloride IV I.P. - 0.9% w/v	500 ml FFS/BFS Bottle
4	Inj. Dextrose I.P. 5% - 500ml	500 ml FFS/BFS Bottle
5	Inj. Lignocaine HCL I.P. - 2% w/v	30 ml Vial
6	Inj. Metronidazole I.P. - 500mg/100ml	100 ml FFS/BFS Bottle
7	Inj. Cefotaxime Sodium I.P. - 1gm	Vial
8	Inj. Tramadol	2 ml Amp
9	Inj. Vitneurin	2 ml Amp
10	Inj. Proxidine 250 mg	1 ml Amp
11	Inj. Promethazine HCL 25 mg/ml	2 ml Amp
12	Diclofenac Sodium Inj. I.P. - 25mg/ml	3 ml Amp
13	Inj. Sensorcaine I.P. 0.5mg	2 ml Amp
14	Inj. Atropine Sulphate I.P. - 0.6mg/ml	1 ml Amp
15	Inj. Frusemide 10mg/ml	2ml Amp
16	Inj. Vecuronium Bromide 4mg/	4 mg/1ml Amp
17	Inj. Sodium Pentothal 500 mg	Ampule
18	Inj. Neostigmine	5 ml amp
19	Inj. Dexamethasone	2 ml Amp
20	Inj. Mephentine	1 ml Amp
21	Inj. Metochlopramide Hydrochloride 5mg/ml	2ml Amp
22	Inj. Ranitidine 50mg	2 ml Amp
23	Inj. Ketamine 10 mg	2 ml amp
24	Inj. Ringer Lactate	500ml Bottle
25	Amoxycillin Cap. I.P. - 250mg	10s
26	Ampicillin Cap. I.P. - 250mg	10s
27	Ibuprofen Tab. I.P. - 400mg	10s
28	Paracetamol Tab. I.P. - 500mg	10s
29	Inj. Dextrose 25%	100 ml Infusion
30	Inj. Sodium Bicarbonate IV (7.5%)	10ml Amp
31	Inj. Diazepam I.P. 10mg/ml	2 ml Amp
32	Inj. Methyl Ergometrine I.P. - 0.2mg/ml	1 ml Amp
33	Inj. Insulin	1 vial
34	Inj. Zinc Insulin	1 Vial
35	Nifedepine Capsules,	10s
36	Inj. Magnesium Sulfate 50%	1 ml Amp
37	Inj. Etofylline+ Theophylline	
38	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal	4s
39	Inj. Dopamine	

List and quantity of Essential Drugs & Consumables for Newborn

Sr. No.	Name of Drug	Unit	Total Amt FOR Destination Inclusive of Tax	Estimated amount as per usage
1	Inj. Adrenaline IP	0.18% w/v Adrenaline tartrate or Adrenaline Tartrate IP eq. to adrenaline 1 mg/ml; 01 ml in each ampoule	1.80	1.80
2	Inj. Amikacin	Amikacin sulphate IP eq to Amikacin 100 mg per 2 ml in vials	4.67	4.67
3	Inj Augmentin	300 mg/vial		
4	Inj. Calcium Gluconate IP	10% w/v calcium gluconate, IP in 10 ml ampule (in 25% cases)	24.99	6.00
5	Inj. Dextrose IP (I.V. Solution)	Dextrose IP eq. to Dextrose anhydrous 10% w/v; 500 ml in each pouch/bottle	11.54	11.54
6	Inj. Isolyte P	500 ml IV Solution		
7	Inj. Gentamycin IP	Gentamycin sulphate eq. to Gentamycin 10 mg per ml; 02 ml in each vial	3.03	3.03
8	Inj. Phenobarbitone IP	Phenobarbitone Sodium IP 100mg/ml; 02 ml in each ampoule (in 2% cases)	24.55	0.50
9	Inj. Phenytoin BP	Phenytoin Sodium IP 50 mg per ml; 02 ml in each ampoule	10.00	10.00
10	Inj. Ceftriaxone Sodium	250 mg/amp	26.50	26.50
11	Inj. Cefotaxime	250 mg/amp	12.59	12.59
12	Inj. Vitamin K	1 mg/amp	9.25	9.25
13	Inj. Sodium Bicarbonate	Sodium Bicarbonate IP 7.5% w/v in 10 ml ampoule	8.73	8.73
14	Inj. Sodium Chloride in IP	Sodium Chloride IP 0.9% w/v; 500 ml in each pouch/bottle	17.98	17.98
15	Syp. Amoxycillin (Dry Syp)	125 mg/5 ml - 40 ml bottle	8.03	8.03
16	Syp. Phenobarbitone	20 mg per 5 ml - 60 ml bottle		
17	Paracetamol drops	125 mg/5 ml -60 ml bottle	7.73	7.73
18	Demperidon drop	1mg/ml 30 ml bottle (ESI R/C)	5.83	5.83
19	Dicyclomine drop	10 mg (10 ml Bottle) (ESI R/C)	5.30	5.30
20	Neonatal Dripset Needed in 1% cases		5.00	5.00
21	Neonatal catheter Needed in 1% cases		5.00	5.00
22	Paediatric Ambu bag and mask	250 cc & 500 cc		
23	Oxygen hood			
24	Markin cloth 1 meter (washed and dried)		40.00	40.00
TOTAL				189.48

**Essential Medicines and consumables for
Rate Contract**

STI/RTI Drugs Kits	
1	Tab Azithromycin 1 gram
2	Tab Cefixime 400 mg
3	Tab Secnidazole 1 grams
4	Tab Fluconazole 150 mg
5	Inj Benzathine Penicillin 2.4 MU
6	Disposable syringe 10 ml
7	sterile water 10 ml
8	Cap./Tab Doxycycline 100mg
9	Tab Acyclovir 400 mg
10	Tab Cefixime 400 mg and
11	Tab Metronidazole 400 mg
12	Gamma Benzene hexachloride lotion/cream 1%
13	Podophyline tincture 25%
14	Paramethrin cream 5%
CAC (SAFE ABORTION CARE)	
1	Tab Mifiprost 100
2	Tab Mesoprostol 200
3	Tab Cefixime 400 mg
4	Tab ciprofloxacin 400 mg
5	Disposable syringe 5 ml
6	sterile water 10 ml
7	Cap./Tab Doxycycline 100mg
8	Tab Metronidazole 400 mg
9	Tab Drotavarine
10	Amoxycillin Cap. I.P. - 250mg
11	Ampicillin Cap. I.P. - 250mg
12	Ibuprofen Tab. I.P. - 400mg
13	Paracetamol Tab. I.P. - 500mg
14	Inj. Diazepam I.P. 10mg/ml
15	Inj. Methyl Ergometrine I.P. - 0.2mg/ml
S.N o.	OUTREACH SERVICES
1	ORS packets
2	Tab IFA 100 mg
3	Tab Albendazole 400
4	Syp Albendazole 10 ml
5	IFA 20 mg
6	Syp Iron
7	Vit A 600 ml bottle
8	Tab Cotrimoxazole(paed)
9	Tab Zinc 20 mg
	Paracetamol

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

पृष्ठ 19

जनपद.....विकास खण्डों की सं०.....

माह.....

जनपदीय नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं माबाइल न०.....

क्रम सं०	जनपद में शिकायत निस्तारण की स्थिति	हैं/ नहीं	
		मासिक	क्रमिक
1	गर्भवती महिलाओं को दी जा रही निःशुल्क सेवाओं की उपलब्धता		
2	विकास खण्डों की संख्या जहाँ पर शिकायत निस्तारण की व्यवस्था है		
3	स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या जहाँ गर्भवती महिलाओं को दी जा रही निःशुल्क सेवाओं की जानकारी प्रदर्शित है।		
4	स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या जहाँ उपभोक्ता शुल्क लिया जा रहा है।		
5	निःशुल्क भोजन प्रदान कर रही इकाइयों की संख्या		
6	घर से स्वास्थ्य इकाई तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान कर रही इकाइयों की संख्या		
7	स्वास्थ्य इकाई से घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान कर रही इकाइयों की संख्या		
8	निःशुल्क नियमित जॉन्वे प्रदान कर रही स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या		
9	निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड जॉन्वे प्रदान कर रही स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या		
10	निःशुल्क उपचार प्रदान कर रही स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या		

क्रम सं०	निःशुल्क सेवाएं प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	मासिक	क्रमिक
1	घर से स्वास्थ्य इकाई तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या		
2	स्वास्थ्य इकाई से घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या		
3	निःशुल्क रा-दर्शन सुविधा प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या		
4	निःशुल्क भोजन प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या		
5	निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्भवती महिलाओं की संख्या		
6	निःशुल्क नियमित जॉन्वे गर्भवती महिलाओं की संख्या		
7	निःशुल्क अल्ट्रासाउण्ड जॉन्वे गर्भवती महिलाओं की संख्या		
8	निःशुल्क रक्त चढायी गयी गर्भवती महिलाओं की संख्या		
9	उपचार प्राप्त नवजात शिशुओं की संख्या	1	
10	प्राप्त शिकायतों की संख्या निस्तारण		
11	शिकायतों की संख्या जिनका निस्तारण किया गया		
12	घर से स्वास्थ्य इकाई तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त नवजात शिशुओं की संख्या		
13	निःशुल्क सन्दर्भन सुविधा प्राप्त नवजात शिशुओं की संख्या		
14	स्वास्थ्य इकाई से घर तक निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त नवजात शिशुओं की संख्या		

मोहर एवं हस्ताक्षर
जनपदीय नोडल अधिकारी

C) REFERRAL TRANSPORT (RT)

Sno.	Referral transport services	State vehicles		EMRI/ EMTS		PPP		Other	
		mthly	cumul ative	mthly	cumulativ e	mthly	cumulativ e	mthly	cumulativ e
1	Total no. of ambulances/ referral vehicles in the district								
2	Whether fitted with GPS (specify no.)								
3	No. of PW who used RT services for:								
	i. Home to health institution								
	ii. Transfer to higher level facility for complications								
	iii. Drop back home								
4	No. of sick newborns who used RT services for:								
	i. Home to health institution								
	ii. Transfer to higher level facility for complications								
	iii. Drop back home								
5	No. of blocks where referral transport service is available:								
6	Whether district level call centre in place (Y/N):								

D) GRIEVANCE REDRESSAL

Sno.	Grievance redressal	Status detail	
		mthly	cumul ative
1	No. of complaints/ grievance cases related to free entitlements		
2	No. of cases addressed / no. of cases pending		
3	Average no. of days taken per case		

District wise budget approval for different activities under JSSK, 2013-14

S/N	District	Expected No. of beneficiaries for Drugs and consumables for all PWs at Delivery points	Budget for Drugs and consumables for normal deliveries @ Rs. 350.00 per ND & for C/S @ Rs. 1600.00 per C/S	Expected No. of beneficiaries for Drugs and consumables for out reach ANC	Budget for Drugs and consumables for ANCs at Delivery points and outreach	Expected No. of beneficiaries for free Diagnostics	Budget for consumables and equipments for free Diagnostics for ANCs/delivery cases/newborns	Expected no. of beneficiaries of free Diet for Normal Deliveries & C/S	Budget for free Diet for PW/NDs/LSCS @ Rs. 100.00 per day per beneficiary	Expected no. of beneficiaries of Free Referral Transport to be paid from JSSK budget	Budget for Free Referral Transport @ Rs.250.00 per beneficiary	Total Budget for JSSK in Rs. Lakhs
	FMR code No.		A.1.7.1		A.1.7.1		A.1.7.2		A.1.7.4		A.1.7.5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(3+5+7+9+1)
1	Agra	45567	183.91	31323	31.32	45567	45.57	37691	119.47	28268	70.67	450.94
2	Firozabad	27867	100.50	19175	19.18	27867	27.87	23290	70.22	17468	43.67	261.43
3	Mainpuri	17567	63.69	12936	12.94	17567	17.57	14131	42.71	40598	26.50	163.40
4	Mathura	17742	70.76	16978	16.98	17742	17.74	14480	45.68	10860	27.15	178.31
5	Allahbad	70437	285.69	43665	43.67	70437	70.44	44548	143.95	33411	83.53	627.27
6	Fatehpur	34841	129.73	18514	18.51	34841	34.84	27962	85.16	20971	52.43	320.68
7	Kausambi	33600	120.15	14096	14.10	33600	33.60	28467	85.52	21350	53.38	306.74
8	Pratapgarh	45553	184.76	23253	23.25	45553	45.55	30470	98.08	22853	57.13	408.78
9	Aligarh	39468	146.06	29079	29.08	39468	39.47	34459	104.98	25844	64.61	384.20
10	Etah	16975	61.58	14717	14.72	16975	16.98	13587	41.08	10190	25.48	159.83
11	Hathras	21347	81.35	11103	11.10	21347	21.35	13504	42.08	10128	25.32	181.20
12	Kasganj	18559	67.22	12653	12.65	18559	18.56	14486	43.78	10865	27.16	169.37
13	Azamgarh	58492	230.08	33144	33.14	58492	58.49	36426	115.71	27319	68.30	505.72
14	Balia	34267	134.79	22860	22.86	34267	34.27	21339	67.79	16004	40.01	299.71
15	Mau	31361	123.36	14469	14.47	31361	31.36	19530	62.04	14647	36.62	267.85
16	Bandau	45711	165.62	28466	28.47	45711	45.71	39384	118.95	29538	73.85	432.59
17	Bareilly	34431	143.87	35475	35.48	34431	34.43	29887	95.96	22415	56.04	365.77
18	Pilibhit	19169	73.06	15465	15.47	19169	19.17	17046	52.55	12785	31.96	192.21
19	Shanjhanpur	32245	118.16	25178	25.18	32245	32.25	26640	80.88	19980	49.95	306.41
20	Basti	44049	173.27	19986	19.99	44049	44.05	27734	87.14	20573	51.43	375.88
21	SK nagar	33377	127.19	15687	15.69	33377	33.38	14688	47.58	11016	27.54	251.38
22	Sidharthnagar	31833	121.32	28552	28.55	31833	31.83	16051	50.49	12038	30.10	262.29
23	Banda	32098	116.16	14667	14.67	32098	32.10	25040	75.61	18784	46.96	285.50
24	CKT	21752	79.60	7316	7.32	21752	21.75	19969	56.79	14077	35.19	200.65
25	Hamirpur	18131	67.11	7796	7.80	18131	18.13	20800	41.53	10239	25.60	160.17
26	Mahoba	16170	58.28	6599	6.60	16170	16.17	12691	38.27	9518	23.80	143.11
27	Bahraich	48538	189.72	32955	32.96	48538	48.54	38067	119.18	28550	71.38	461.77
28	Shrawasti	18598	67.37	13414	13.41	18598	18.60	16348	39.56	9809	24.52	163.46

S/N	District	Expected No. of beneficiaries for Drugs and consumables for all PWs at Delivery points	Budget for Drugs and consumables for normal deliveries@ Rs. 350.00 per ND & for C/S @ Rs.1600.00 per C/S	Expected No. of beneficiaries for Drugs and consumables for out reach ANC	Budget for Drugs and consumables for ANCs at Delivery points and outreach	Expected No. of beneficiaries for free Diagnostics	Budget for consumables and equipments for free Diagnostics for ANCs/delivery cases/newborns	Expected no. of beneficiaries of free Diet for Normal Deliveries & C/S	Budget for free Diet for PW/NDs/LSCS @ Rs. 100.00 per day per beneficiary	Expected no. of beneficiaries of Free Referral Transport to be paid from JSSK budget	Budget for Free Referral Transport @ Rs.250.00 per beneficiary	Total Budget for JSSK in Rs. Lakhs
	FMR code No.		A.1.7.1		A.1.7.1		A.1.7.2		A.1.7.4		A.1.7.5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(3+5+7+9+1)
29	Balrampur	23098	86.60	22954	22.95	23098	23.10	15891	48.94	11918	29.80	211.39
30	Gonda	35320	149.83	27362	27.36	35320	35.32	27693	90.12	20710	51.78	354.41
31	Sultanpur7u	34776	136.79	16529	16.53	34776	34.78	20700	65.92	15526	38.81	292.83
32	Ambedkarnagar	27018	106.28	17786	17.79	27018	27.02	15526	48.99	11506	28.77	228.84
33	Amehti	32388	123.42	16955	16.96	32388	32.39	13306	39.92	9386	23.46	236.15
34	Barabanki	56892	230.74	24925	24.93	56892	56.89	47226	121.67	47226	118.07	552.29
35	Faizabad	37648	157.29	18521	18.52	37648	37.65	31000	81.28	25800	64.50	359.24
36	Mahrajganj	39174	144.46	22743	22.74	39174	39.17	28492	85.57	21302	53.26	345.20
37	Devoria	33377	127.20	24253	24.25	33377	33.38	14841	44.68	11016	27.54	257.05
38	Gorakhpur	68284	260.22	32764	32.76	68284	68.28	48830	151.49	37561	93.90	606.66
39	Kushinagar	52542	200.23	31642	31.64	52542	52.54	40342	100.68	24928	62.32	447.41
40	Lalitpur	26919	105.88	9784	9.78	26919	26.92	16948	53.25	12573	31.43	227.26
41	Jalaun	25060	92.41	11159	11.16	25060	25.06	23550	57.44	14130	35.33	221.39
42	Jhansi	26178	107.78	11539	11.54	26178	26.18	19626	63.18	14719	36.80	245.48
43	Kanpur nagar	77902	190.15	24220	24.22	77902	77.90	35529	109.95	26647	66.62	468.84
44	Auraia	19440	76.47	9974	9.97	19440	19.44	12240	36.86	9080	22.70	165.44
45	Etawah	27846	112.15	10594	10.59	27846	27.85	21015	62.57	15401	38.50	251.66
46	Farrukhabad	18482	67.50	14940	14.94	18482	18.48	16800	50.57	12600	31.50	182.99
47	Kannauj	25101	90.54	11611	11.61	25101	25.10	18413	55.32	13810	34.53	217.10
48	Kanpur dehat	25698	101.10	10670	10.67	25698	25.70	22333	69.83	16750	41.88	249.17
49	Kheri	58448	217.34	32359	32.36	58448	58.45	47193	144.26	35395	88.49	540.89
50	Hardoi	59503	228.22	33588	33.59	59503	59.50	52114	160.24	38860	97.15	578.70
51	Lucknow	49400	283.16	25382	25.38	49400	49.40	43414	162.30	32560	81.40	601.64
52	Unnao	35702	131.67	19953	19.95	35702	35.70	38281	93.18	22968	57.42	337.93
53	Raibaillyre	37977	158.66	16435	16.44	37977	37.98	39038	100.63	23423	58.56	372.26
54	Sitapur	78693	309.53	37391	37.39	78693	78.69	59581	187.39	44686	111.71	724.72
55	GB nagar	10322	42.17	11827	11.83	10322	10.32	9040	28.72	6780	16.95	109.99
56	Baghpat	12993	48.99	8736	8.74	12993	12.99	9916	30.55	7437	18.59	119.86
57	Bulandsahar	34208	123.76	27073	27.07	34208	34.21	30467	92.66	22850	57.13	334.83

S/N	District	Expected No. of beneficiaries for Drugs and consumables for all PWS at Delivery points	Budget for Drugs and consumables for normal deliveries @ Rs. 350.00 per ND & for C/S @ Rs. 1600.00 per C/S	Expected No. of beneficiaries for Drugs and consumables for outreach ANC	Budget for Drugs and consumables for ANCs at Delivery points and outreach	Expected No. of beneficiaries for free Diagnostics	Budget for consumables and equipments for free Diagnostics for ANCs/delivery cases/newborns	Expected no. of beneficiaries of free Diet for Normal Deliveries & C/S	Budget for free Diet for PW/NDs/LSCS @ Rs. 100.00 per day per beneficiary	Expected no. of beneficiaries of Free Referral Transport to be paid from JSSK budget	Budget for Free Referral Transport @ Rs. 250.00 per beneficiary	Total Budget for JSSK in Rs. Lakhs
	FMR code No.		A.1.7.1		A.1.7.1		A.1.7.2		A.1.7.4		A.1.7.5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12(3+5+7+9+11)
58	Meerut	24685	114.81	24954	24.95	24685	24.69	21490	72.47	16117	40.29	277.21
59	Ghaziabad	11427	50.35	20589	20.59	11427	11.43	10418	33.49	7814	19.53	135.39
60	Hapur	12953	47.25	9038	9.04	12953	12.95	10692	32.40	8019	20.05	121.69
61	Sambhal	24098	100.67	16523	16.52	24098	24.10	20258	65.18	15193	37.98	244.45
62	Amroha	16324	60.20	14338	14.34	16324	16.32	14682	44.65	11011	27.53	163.04
63	Bijnaur	20825	89.53	26557	26.56	20825	20.83	15680	51.60	11760	29.40	217.91
64	Moradabad	51365	88.90	23740	23.74	51365	51.37	17966	57.79	13474	33.69	255.48
65	Rampur	17072	71.32	17592	17.59	17072	17.07	14351	46.17	10763	26.91	179.06
66	Shamli	8069	29.75	10908	10.91	8069	8.07	7110	21.62	5332	13.33	83.68
67	MZN	21325	107.07	19546	19.55	21325	21.33	16227	57.96	12170	30.43	236.33
68	SRE	28395	138.73	27114	27.11	28395	28.40	22960	80.08	17220	43.05	317.37
69	Varanasi	40243	168.13	21561	21.56	40243	40.24	20224	73.54	16547	41.37	344.84
70	Chandauli	22382	85.26	15169	15.17	22382	22.38	10260	32.41	7695	19.24	174.46
71	Ghazipur	62598	234.88	25690	25.69	62598	62.60	29135	90.90	21851	54.63	468.70
72	Jaunpur	51338	201.95	29897	29.90	51338	51.34	38553	121.30	28915	72.29	476.77
73	Sonbhadra	23309	91.68	15729	15.73	23309	23.31	9256	30.32	6942	17.36	178.40
74	Bhadohi	28516	112.17	11570	11.57	28516	28.52	17758	56.41	13318	33.30	241.96
75	Mirzapur	34942	137.45	16295	16.30	34942	34.94	21760	69.12	16320	40.80	298.61
	Total	2500000	9625.00	1500000	1500.00	2500000	2500.00	1816840	5548.30	1348112	3370.28	22543.58